

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2016

जयपुर, दिनांक : 22.10.2016

आदेश

दिनांक 29.10.2016 से 1.11.2016 तक राजपत्रित अवकाश/सार्वजनिक अवकाश होने एवं दिनांक 30 अक्टूबर, 2016 को दीपावली पर्व होने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों (पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित) के माह अक्टूबर, 2016 के वेतन एवं भत्तों आदि का भुगतान दिनांक 28.10.2016 को/से कर दिया जावे। इसी प्रकार पेंशन भुगतान कार्यालयों से पेंशन पाने वाले पेंशनरों को भी उनके माह अक्टूबर, 2016 की पेंशन का भुगतान उपरोक्तानुसार कर दिया जावे।

यह आदेश दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों पर भी लागू होगा।

आज्ञा से,
nohm 22/10/16
(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
15. सहायक भुगतान एवं कोषाधिकारी, राजस्थान सरकार, कार्यालय आवासी आयुक्त, बीकानेर हाउस, पंडारा रोड, नई दिल्ली।
16. पर्सनल मैनेजर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
17. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इस आदेश को समाचार-पत्रों में प्रकाशित/प्रचारित कराने की व्यवस्था करावें।

22/10/16
(रामावतार शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

(GF&AR- 14 /2016)